प्रार्थना पत्र संख्या :— 112 / 2019

मृतक हरिसिंह पिता अनोपसिंह राजपूत निवासी बेगूँ किला के विधिक वारिसान निम्न प्रकार है:—

1 / 1— श्रीमति रानी सूरजकंवर पत्नी रावत हरिसिंह राजपूत निवासी बेगूँ किला

1 / 2— महासिंह पिता रावत हरिसिंह राजपूत निवासी बेगूँ किला

1 / 3— मृतक माधोसिंह पिता रावत हरिसिंह राजपूत निवासी बेगूँ किला के विधिक वरिसान निम्न प्रकार है:—

3 / 1— श्रीमती अन्नपूर्णा राठौड पत्नी माधवसिंहराजपूत निवासी बेगूँ किला

3 / 2— जयवृतसिंह पिता माधवसिंहराजपूत निवासी बेगूँ किला

3 / 3— हर्षिता कुमारी चुण्डावत पिता माधवसिंहराजपूत निवासी बेगूँ किला

1 / 4— अजयराजसिंह पिता रावत हरिसिंह राजपूत निवासी बेगूँ किला

प्रार्थीगण

बनाम

1— देवीलाल पिता प्यारा जी माली निवासी मडावदा तह0 बेगूँ

2— श्री भूमिधारी जरिये श्री तहसीलदार बेगूँ विपिक्षीगण

उपस्थित :— श्री कैलाशचन्द्र धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

दिनांकः— 29.09.2023

<u>आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 144सपठित धसारा 151 सी.पीसी.</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र धाकड द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि विपक्षी देवीलाल पिता प्यारा जी माली ने माननीय न्यायालय आप के न्यायालय में इस आशय का घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया कि स्व. मोहनकुमारी जो कि स्व. राव हरिसिंह पिता अनोपसिंह राजपूत की माता जी थी इनके नाम पर ग्राम मडावदा स्थित आराजी नं0 1062 / 542 रकबा 0.486 हैक्टर को स्व. मोहनकुमारी पत्नी अनोपसिंह राजपूत के अपंजीकृत स्टाम्प 99रूपये पर बेचान कर दी इसलिए कब्जा एवं बेचान के आधार पर जमीन की घोषणा की जावें।

माननीय न्यायालय आप द्वारा उक्त वाद पत्र संख्या 58 / 1994 दर्ज होकर उसका निर्णय दिनांक 21.07.1994 को तथा निर्णय प्रदान किया कि यदि वादी देवीलाल माली रजिस्ट्रेशन चार्ज न्यायालय में जमा करादें तो उक्त आराजी नम्बर 1062 / 542 को वादी देवीलाल पिता प्यारा माली के खाते में अंकित कर दी जावें। वादी देवीलाल ने राशि जमा कराकर न्यायालय आदेश की इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके क्रमांक 23 / 2002 को निर्णय की पालना का पत्र जारी हुआ जिसकी पालना में नामा0 सं0 721 दर्ज किया जाकर ग्राम मडावदा में स्थित स्व0 मोहनकुमारी पत्नी अनोपसिह राजपूत के खाते की आराजी संख्या 1062 / 542 रकबा 0.49 हैक्टर भूमि को देवीलाल पिता प्यारा जी माली के नाम पर अंकित कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा उनके निर्णय दिनांक 07.01.2005 को हुआ है, माननीय न्यायालय आप का निर्णय दिनांक 10.06.2002 को अपास्त किया गया है।

Signature Not Verified

वादी देवीलाल पिता प्यारा माली ने ... अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जिसका निर्णय दिनांक ...05.2019 को हुआ जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टी की गई है व मूल वाद पत्र को माननीय न्यायालय आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसे निरस्त ही माना गया है तथा व्यवस्था दी गई है कि अपंजीकृत स्टाम्प का कमी मुद्रांक व पंजीयन शुल्क जमा करा देने मात्र से वह भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज नहीं माना जाकर वादी देवीलाल पिता प्यारा जी माली द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण वाद पत्र को खारिज किया गया है।

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:10 IST
Reason: SelfAttested

यह कि श्रीमति मोहनकुमारी पत्नी स्व. अनोपसिह राजपूत निवासी किला बेगूँ का निधन हो चुका है उनके पुत्र श्री हरिसिंह पिता अनोपसिंह राजपूत निवासी किला बेगूँ

स्व. हरिसिंह के परिवार के साथ समस्त प्रार्थीगण है जो कि प्रार्थना पत्र में अंकित सजरें अनुसार दर्शाये गये है।

अतःमाननीय न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी संख्या 1062/542 रकबा 0.49' हैक्टर भूमि ग्राम मडावदा प0ह0 आंवलहेडा को पुनः पूर्व स्थिति में रेस्टोर किये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थीगण के नाम पर भूमि को पुनः नामान्तरित करते हुए आदेश प्रदान कराया जाकर पालना कराई जाने का भी आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में की गई है जिसमें सुनवाई की कार्यवाही होने तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को स्थगित रखा जावें, न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई ठोस दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट प्रस्तुत करने का संलग्न नहीं किया जो इस तथ्य की पुष्टि करता हो, प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की ओर से एक लिखित राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मडावदा की आराजी संख्या 1062/542 रकबा 0.486 हैक्टर भूमि वर्तमान में देवीलाल पिता प्यारा जी माली के खातेदारी में राजस्व रेकार्ड में अंकित चल रही है जो लगातार चलती रहेगी हम प्रार्थीगण हमारे अधिकार का त्याग कर लोक अदालत की भावना से यह राजीनामा न्यायालय में पेश कर प्रकरण को निस्तारित करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे है जो स्वीकार किया जाना न्यायोचित विधि सम्मत है। आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र को राजीनामा अनुसार निर्णित किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

अतः माननीय श्रीमान आपसे हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी की ओर से प्रार्थना है उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से राजीनामा अनुसार प्रकरण को निस्तारित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

उपरोक्त राजीनामा हमारे समक्ष प्रार्थीगण एवं विपक्षी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है, प्रार्थीगण एवं विपक्षी को सुना गया,प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र अ0धा0 144सपठित धारा 151 सी.पीसी. की कार्यवाही इस स्टेज पर ड्रोप किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर सुने ईजलजास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:10 IST
Reason: SelfAttested